संख्या:70/2020/735/35-4-2020

प्रेषक ,

विवेक,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखीमपुर-खीरी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 07 अक्टूबर,2020

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय पालीटेक्निक के भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि, नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-48/2020/521/35-4-2020 दिनांक 31 मार्च,2020 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद खीरी की विधान सभा क्षेत्र लखीमपुर में **राजकीय पालीटेक्निक, भानपुर, श्रीनगर, लखीमपुर-खीरी के भवन निर्माण कार्य** हेतु रू. 1945.60 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय, 01 प्रतिशत लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी के पत्र संख्या-314/त्वा0आ0वि0यो0/2019-20/ दिनांक 01 अप्रैल,2020 द्वारा सूचित किया गया है कि, उक्त कार्य हेतु प्रथम किश्त की धनराशि का कतिपय कारण से कोषागार से आहरण किया जाना संभव नहीं हो सका। इसी क्रम में जनपद के पत्र संख्या-631/त्वा0आ0वि0यो0/2019-20/ दिनांक 11 अगस्त,2020 द्वारा उक्त कार्य की वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृति जारी करने का प्रकरण सन्दर्भित किया गया है। एतद्द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च,2020 द्वारा स्वीकृत कार्य यथा: **विधान सभा क्षेत्र लखीमपुर में राजकीय पालीटेक्निक, भानपुर, श्रीनगर, लखीमपुर-खीरी के भवन निर्माण कार्य** हेतु कार्य की अनुमोदित स्वीकृत लागत रू.1945.60 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय,01 प्रतिशत लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि रू.200.00 लाख का आहरण कोषागार से न होने के फलस्वरूप उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू. 200.00 लाख की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2021 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2021 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2021 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2021 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
3- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च,2020 की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-104-बहुशिल्प-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-राजकीय पॉलीटेक्निक का भवन निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-1145/दस-2020 दिनांक 30 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:70/2020/735(1)/35-4-2020 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- निदेशक, प्रविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर,उ0प्र0।
9- निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखीमपुर-खीरी ।
11- गार्ड फाईल।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखीमपुर-खीरी ।
14- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखीमपुर-खीरी ।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।